उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन)

अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1994)

जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित तथा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 17 मार्च, 1994 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 17 मार्च, 1994 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अधिनियम, 1979 के निरसन के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (निरसन) अधिनियम, 1994 कहा जाएगा।

(2) यह 1 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1979 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) अधिनियम, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।